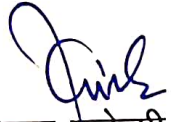
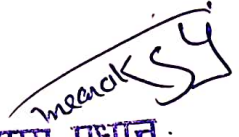


परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड हेतु 0.35 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल द्वारा रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक में उक्त निर्माण कार्य से हम ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त क्षेत्रीय जनमानस उल्लेखित योजना से लाभान्वित होंगे।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल.


ग्राम प्रधान
ग्राम पंच-कालादूंगी बौर वन प्रभाग
वि० ख०-कोटाबाग (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड हेतु 0.35 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम= कालाढूंगी बन्दोबस्ती ग्राम पञ्च

तहसील= कालाढूंगी, जिला= नैनीताल।

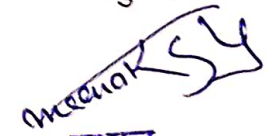
आग राभा बैठक प्रमाण-पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड निर्माण कार्य हेतु (0.35 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.35 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालाढूंगी बन्दोबस्ती द्वारा दिनांक 12-04-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरहैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को हैड निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

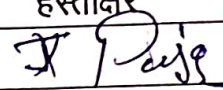
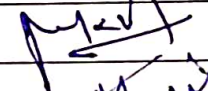
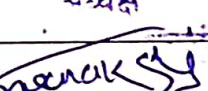

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत--कालाढूंगी बन्दोबस्ती
पो. खो-कोटाबाग (नैनीताल)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

दिनांक..12.04.2022को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत:-कालादूंगी बन्दोबस्ती, विदरामपुर, देवलचौड़, रामपुर, पूरनपुर, गुलजारपुर बंकी एवं रतनपुर।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर वि०ख० कोटाबाग	
2-	क्षेत्र पंचायत सदस्य 27 रामपुर (विदरामपुर) वि०ख० कोटाबाग	Armaan Kumar
3-	प्रधान ग्राम पंचायत विदरामपुर वि०ख० कोटाबाग	21.04.2022
4-	क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत गुलजारपुर बंकी वि०ख० कोटाबाग	रक्षा देवी
5-	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गुलजारपुर बंकी वि०ख० कोटाबाग	Deepak
6-	प्रधान ग्राम पंचायत रतनपुर कालादूंगी वि०ख० कोटाबाग	Sanjay Kumar
7-	क्षेत्र पंचायत सदस्य रतनपुर देवलचौड़ कालादूंगी वि०ख० कोटाबाग	पराचन्द
8-	प्रधान ग्राम पंचायत रतनपुर वि०ख० कोटाबाग	PARMEER
9-	प्रधान ग्राम पंचायत देवलचौड़ वि०ख० कोटाबाग	
10-	क्षेत्र पंचायत सदस्य 29- कालादूंगी बन्दोबस्ती ग्राम पंचायत वि०ख० कोटाबाग	
11-	अध्यक्ष नगर पंचायत कालादूंगी	
12-	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत कालादूंगी बन्दोबस्ती वि०ख० कोटाबाग	


अध्यक्ष
नगर पंचायत कालादूंगी
नैनीताल


प्रधान
ग्राम पंचायत- रामपुर
वि०ख० कोटाबाग (नैनीताल)

रक्षा देवी
क्षेत्र पंचायत
ग्राम पं-गुलजारपुर बंकी
विकास खण्ड-कोटाबाग

Sanjay Kumar
प्रधान
ग्राम पंचायत रतनपुर, कालादूंगी
वि०ख०-कोटाबाग (नैनीताल)

Virendra
क्षेत्र पंचायत सदस्य
27 रामपुर (विदरामपुर)
वि०ख०- कोटाबाग


ग्राम प्रधान
ग्राम पं-कालादूंगी बन्दोबस्ती
वि० ख०-कोटाबाग (नैनीताल)

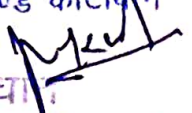
Deepak

PARMEER
प्रधान

ग्राम पंचायत पूरनपुर
वि०खण्ड कोटाबाग

ग्राम पंचायत- विदरामपुर
वि०ख० कोटाबाग (नैनीताल)

पराचन्द
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रतनपुर, देवलचौड़ (कालादूंगी)
वि०ख०-कोटाबाग


प्रधान
ग्राम पंचायत देवलचौड़
विकास खण्ड कोटाबाग (नैनीताल)


क्षेत्र पंचायत सदस्य
29 कालादूंगी बन्दोबस्ती व घाणला
प्रधान

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड कालाढूंगी परिक्षेत्र में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड के निर्माण कार्य हेतु (0.35 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.35 है0 वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-कालाढूंगी) की दिनांक 19.12.2022 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रेखा को.द.न. उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

- 1- श्रीमती रेखा को.द.न. उप जिलाधिकारी कालाढूंगी, अध्यक्ष
- 2- श्री प्रति उमराव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य।
- 3- श्री मो.श. कुमार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य।
- 4- श्रीमती मीना बिहारी, क्षेत्र पंचायत, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी कालाढूंगी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन के लिए हैड हेतु 0.35 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, कालाढूंगी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन के लिए हैड हेतु 0.35 है0 के निर्माण हेतु 0.35 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
नैनीताल।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति।

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य हेतु (0.35 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.35 है० वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील-कालाढूंगी, जिला नैनीताल) की दिनांक 29-04-2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री धीरान्त सिंह गब्यलि जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री धीरान्त सिंह गब्यलि जिलाधिकारी, नैनीताल, अध्यक्ष
- 2- श्री चन्द्र शेखर जोशी प्रभागीय वनाधिकारी (रामनगर, सदस्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)
- 3- श्री योगेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य
- 4- श्री मीना बिष्ट कोटाबाग (नैनीताल) क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र- 29 कालाढूंगी बन्दोबस्ती व धापला
10110- कोटाबाग (नैनीताल) उत्तराखण्ड

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त लीज नवीनीकरण हेतु 0.35 है० वन भूमि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला नैनीताल, उपखण्ड, कालाढूंगी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन क्षेत्र के वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वन भूमि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, नैनीताल को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

५५
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कालाढूंगी, नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

५५
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कालाढूंगी, नैनीताल।
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड हेतु 0.35 है0 के निर्माण कार्य हेतु 0.35 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


उप जिला अधिकारी
कालाढूंगी (नैनीताल)


जिलाधिकारी
नैनीताल


Tahsil Dar
कालाढूंगी जिला-नैनीताल

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।

Annexure-II

Form-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector of Nanital (U.K)

Date: 29-04-2022

No.....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complacence of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 0.35 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irrigation Department in Nanital District falls within jurisdiction of Kaladhungi tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.35 hectares forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam (s), Sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3.
- The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificated issued by the Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have giving their consent to it;
- The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

उप जिला अधिकारी
कालाढूंगी (नैनीताल)
कालाढूंगी जिला-नैनीताल

परियोजना का नाम:— जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।

Office of the deputy commissioner
District –Nanital (U.K)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Nanital district constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship of Mr. DHIRAJ SINGH GARDIYAL AS Deputy commissioner Nanital on dated 29-04-2022 at time 4.30 P.M. at Nanital in which application calming right in **0.35 hectares** for रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Sub division level committee of Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date 29-04-2022

Place NANITAL


TAHSIL DAR
कालाढूंगी जिला-नैनीताल


उप जिला अधिकारी
कालाढूंगी (नैनीताल)


Deputy Commissioner cum chairman
District level committee
जिलाधिकारी
नैनीताल